

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागीर)

प्रार्थी

शिवरामा उर्फ शिवधर

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

बनाम

अप्रार्थीगण

राजूराम वगैरह

संख्या 194 / 2017

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
02.07.2020	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद के शिर्षक को देखने से पाया गया कि वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 व 251ए के तहत पेश किया गया है। धारा 188 आर.टी.एक्ट के प्रकरण को सुने जाने के लिए सहायक कलक्टर सक्षम प्राधिकारी है तथा धारा 251ए के प्रकरणों को सुने जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी है, जबकि उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को संबोधित कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र दोनो साथ-साथ वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं पाये जाते हैं। अतः हस्तगत प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागीर</p>	